



## बेनामी संपत्तिलेन-देन नषिध अधनियम, 1988

### संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेनामी संपत्तिलेन-देन नषिध अधनियम (Benami Property Transactions Act - PBPT), 1988 के तहत नरिणायक प्राधकिरण (Adjudicating Authority) के गठन और अपीलीय न्यायाधकिरण (Appellate Tribunal) की स्थापना को स्वीकृति दे दी है।

### मुख्य बदि

- I. पीबीपीटी अधनियम के तहत तीन अतरिक्त खंडपीठों के साथ नरिणायक प्राधकिरण का गठन और अपीलीय न्यायाधकिरण की स्थापना की जाएगी।
- II. नरिणायक प्राधकिरण की खंडपीठों और अपीलीय न्यायाधकिरण को अधकिरीगण एवं कर्मचारीगण उपलब्ध कराए जाएंगे। आयकर वभिग/केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes - CBDT) में समान स्तर/रैंक वाले वर्तमान पदों का उपयोग अन्यत्र करके यह काम पूरा किया जाएगा।
- III. नरिणायक प्राधकिरण और अपीलीय न्यायाधकिरण दल्लि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Territory of Delhi - NCTD) में ही अवस्थित होंगे।
- IV. नरिणायक प्राधकिरण की खंडपीठ कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में अवस्थित हो सकती है। प्रस्तावित नरिणायक प्राधकिरण के अध्यक्ष के साथ सलाह-मशवरी करने के बाद ही इस बारे में आवश्यक अधसूचना जारी की जाएगी।

### लाभ

- उपर्युक्त मंजूरी मलि जाने से नरिणायक प्राधकिरण को सौंपे गए मामलों का कारगर एवं बेहतर नपिटान संभव होगा और इसके साथ ही नरिणायक प्राधकिरण के ऑर्डर के खिलाफ अपीलीय न्यायाधकिरण में की जाने वाली अपील का भी त्वरित नपिटान संभव हो जाएगा।
- नरिणायक प्राधकिरण के गठन से PBPT अधनियम के तहत की जाने वाली प्रशासनिक कार्रवाई की प्रथम चरण की समीक्षा करने में मदद मल्लेगी।
- प्रस्तावित अपीलीय न्यायाधकिरण की स्थापना से PBPT अधनियम के तहत नरिणायक प्राधकिरण द्वारा जारी किये जाने वाले ऑर्डर के खिलाफ अपील करने की समुचित व्यवस्था संभव हो जाएगी।

### बेनामी लेन-देन (नषिध) अधनियम, 1988

बेनामी लेन-देन (नषिध) संशोधन वधियक, 2015 का उद्देश्य बेनामी लेन-देन (नषिध) अधनियम, 1988 में संशोधन करना है। इस नए संशोधित कानून से बेनामी संपत्तिको ज़ब्त करने और मुकदमा चलाने का अधकिार प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रमुख राजस्व को वशिष रूप से रयिल एस्टेट की बेनामी संपत्तियों में काले धन के रूप में लगाए जाने का रास्ता अवरुद्ध होगा।

- वधियक में इसके लिये दायरे का वसितार किया गया है, जिसमें संवधि नामों के तहत खरीदी गई संपत्तियों को भी शामिल किया गया है और ऐसी स्थितियों को भी जोड़ा गया है जिसमें मालिक अपने मालिकाना हक से अंजान होता है। ऐसे सौदों को अंजाम देने वालों की धरपकड़ भी की जाएगी।
- यदि संपत्ति पत्नी, बच्चे या परिवार के किसी नकिट सदस्य के नाम पर है तो वह बेनामी संपत्तिकी श्रेणी में नहीं आएगी। लेकिन यदि किसी तीसरे पक्ष के नाम पर दर्ज है, तब उस स्थिति में ऐसी संपत्तिको ज़ब्त किया जा सकता है।
- संशोधित वधियक सरकार को यह अधकिार देता है कि वह बेनामी संपत्तियों को ज़ब्त कर सकती है।
- इसमें सरकार को वैधानिक और प्रशासनिक शक्तियाँ दी गई हैं, जिससे वह बेनामी कानून लागू होने की राह में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों से पार पाने में सक्षम होगी।
- आय घोषणा योजना के तहत भी कोई व्यक्ति अपनी बेनामी संपत्तिकी घोषणा कर सकता है और उसे बेनामी अधनियम के प्रावधानों से राहत दी जाएगी।
- इस वधियक का उद्देश्य एक व्यापक समावेशी ढाँचा तैयार करना है, जिसमें बेनामी संपत्तियों के बेहतर नयिमन हेतु वशिष सुनवाई प्राधकिरण का गठन किया जाएगा।
- अधनियम के प्रावधानों के तहत एक उचित प्राधकिरण का गठन किया जाएगा। इस वधियक में चार स्तरीय नयिमकीय ढाँचे के गठन का प्रस्ताव है, जिसमें एक पहल अधकिारी, एक स्वीकृति प्राधकिरण, एक प्रशासक और सुनवाई प्राधकिरण होगा।

- वधियक में नयिमों का उल्लंघन करने की स्थिति में सख्त सज़ा का प्रावधान कयिा गया है । इसमें बेनामी संपत्त खिरीदने की स्थिति में सात साल की सज़ा हो सकती है । साथ ही एजेंसियों को गलत सूचनाएँ देने के कारण भी पाँच साल जेल में काटने पड़ सकते हैं ।
- संशोधन में एक अपीलीय पंचाट के गठन का भी प्रावधान है, जो अपील की सुनवाई के लयिे एक स्वतंत्र नकियाय के रूप में काम करे और मामले के उच्च न्यायालय में जाने से पहले ही यहाँ उसकी सुनवाई हो सके ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/benami-property-transactions-act-pbpt-1988>

